



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)



सं.ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/3

नई दिल्ली, दिनांक 11.11.2021

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय: अखिल भारतीय छुट्टी यात्रा रियायत (एआईएलटीसी) के चार वर्षों के ब्लॉक को अगले ब्लॉक के प्रथम वर्ष में आगे बढ़ाने के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 10.09.2018 का समसंख्यक पत्र।

एआईएलटीसी सुविधा को आगे बढ़ाने से संबंधित प्रश्नों की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भाधीन पत्र के तहत यथा अधिसूचित चार वर्षों के ब्लॉक में एक बार ली जाने वाली एआईएलटीसी सुविधा, केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम - 1988, समय-समय पर यथा-संशोधित, के नियम 10 के अनुसार, आगे बढ़ाई जा सकती है और चार वर्षों के अगले ब्लॉक के प्रथम वर्ष में इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। तदनुसार, वर्तमान ब्लॉक वर्ष 2018-2021 की एआईएलटीसी सुविधा का लाभ वर्ष 2022 में उठाया जा सकता है।

2. कैलेण्डर वर्ष 2021 का सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाण-पत्र (पीपीएससी), जो वर्ष 2021 के दौरान एआईएलटीसी की सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त है, वर्ष 2022 में आगे बढ़ाई हुई एआईएलटीसी सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी मान्य रहेगा। वर्तमान कैलेण्डर वर्ष 2021 के सुविधा पास खाते के समापन (अर्थात् 30 मई 2022) तक सुविधा पासों को अभ्यर्पित करने और सुविधा पास अभ्यर्पण प्रमाण-पत्र को जारी करने की अनुमति होगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(वी. मुरलीधरन)
(वी. मुरलीधरन)

उप निदेशक, स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड

सं.ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-1/3

नई दिल्ली, दिनांक 11.11.2021

प्रतिलिपि:

भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलवे), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।


(विष्णु शर्मा)
कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. निदेशक (जीए), रेलवे बोर्ड।
2. कंप्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड को सभी संबंधितों की जानकारी के लिए रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
3. मानक सूची के अनुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ अग्रेषित :-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं.256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, एफआरओए, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.402, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा नं.439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रमोटी अधिकारी संघ, कमरा नं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नं.7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी महासंघ, कमरा नं.48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन 
कृते सचिव/रेलवे बोर्ड